अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (15) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहला परंतुक तब लागू नहीं होगा, यदि उसमें निर्दिष्ट क्रियाकलापों से प्राप्तियों का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष में दस लाख रुपए या कम है ;";

(ख) खंड (24) के उपखंड (xv) में, "खंड (vii)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के पश्चात्, "या खंड (viiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 में उपधारा (2) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 जून, 1976 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी अनिवासी की आय उपधारा (1) के खंड (v) या खंड (vi) या खंड (vii) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी और ऐसे अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, चाहे,—

(i) अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध हो अथवा नहीं ; या

(ii) अनिवासी ने भारत में सेवाएं प्रदान की हों अथवा नहीं ।"।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (21) में, 1 अप्रैल, 2011 से,— धारा 10 का संशोधन ।

(क) "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हें, "अनुसंधान संगम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) आरंभिक भाग में, "खंड (ii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, "या खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) पहले परंतुक के खंड (क) में,—

(अ) उपखंड (i) में,—

(I) मद (2) में, "वैज्ञानिक अनुसंधान" शब्दों के स्थान पर, "वैज्ञानिक अनुसंधान या समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) मद (3) में, "खंड (ii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, "या खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ii) में, "वैज्ञानिक अनुसंधान" शब्दों के स्थान पर, "वैज्ञानिक अनुसंधान या समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान" शब्द रखे जाएंगे ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 10कक का संशोधन ।

2009 का 33 "परंतु इस उपधारा के उपबंध [वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 6 द्वारा यथासंशोधित], 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए प्रभावी होंगे ।"।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक की उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या धारा 12कक का संशोधन ।
1996 का 33 धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के पांचवें परंतुक में, "खंड (xiii) और खंड (xiv)" शब्दों, धारा 32 का संशोधन ।
कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (xiii), खंड (xiiiख) और खंड (xiv)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में, 1 अप्रैल, 2011 से,— धारा 35 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अनुसंधान संगम" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में "एक सही एक बटा चार" शब्दों के स्थान पर, "एक सही तीन बटा चार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iii) में,—

(अ) "किसी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अनुसंधान संगम, जिनका उद्देश्य समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक में, "ऐसे विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "ऐसे संगम, विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2कक) के खंड (क) में "एक सही एक बटा चार" शब्दों के स्थान पर, "एक सही तीन बटा चार" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2कख) के खंड (1) में, "एक सही एक बटा दो" शब्दों के स्थान पर, "दो" शब्द रखा जाएगा ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में,— धारा 35कघ का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) के खंड (iii) के उपखंड (ग) में, "अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता का एक तिहाई" शब्दों के स्थान
2006 का 19 पर, "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता का ऐसा अनुपात" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2011 से, रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किसी निर्धारण वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत किया गया है और अनुज्ञात किया गया है, वहां कोई कटौती, उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे

विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में "ग—कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्षक के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।";

(ग) उपधारा (5) में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(i) खंड (क) में, अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत दो-सितारा या उच्च प्रवर्ग के नए होटल के निर्माण और प्रचालन की प्रकृति का है; और";

(iii) खंड (ख) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (क) और खंड (कक)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (8) के खंड (ग) में, उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) भारत में कहीं भी केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत दो-सितारा या उच्च प्रवर्ग के नए होटल का सन्निर्माण और प्रचालन ।"।

धारा 35घघक का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ हो, जिसके द्वारा कोई प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी की धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों को पूरा करने वाली कोई सीमित दायित्व भागीदारी उत्तरवर्ती हो जाती है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त कंपनी को तब लागू हुए होते, यदि कारबार का पुनर्गठन न हुआ होता ।";

(ख) उपधारा (5) में, "उपधारा (3) में निर्दिष्ट अविलयित कंपनी की दशा में और उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (3) में निर्दिष्ट अविलयित कंपनी की दशा में, उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में और उपधारा (4क) में निर्दिष्ट किसी कंपनी की दशा में" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 40 का संशोधन ।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (iक) में,—

(क) "कटौती के पश्चात्,—" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "उसका संदाय नहीं किया गया है ।" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उसके पूर्व उसका संदाय नहीं किया गया है" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां किसी ऐसी राशि की बाबत, कर की किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या पूर्ववर्ष के दौरान कटौती की गई है किन्तु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख के पश्चात् उसका संदाय किया गया है वहां उस राशि को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।"।

धारा 43 का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 43 में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) खंड (1) के स्पष्टीकरण 13 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, "उपखंड (xiii) और उपखंड (xiv)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपखंड (xiii), उपखंड (xiiiख) और उपखंड (xiv)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (6) के स्पष्टीकरण 2ख के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2ग**—जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई समूह आस्तियां किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध कंपनी द्वारा किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित की जाती हैं और धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है वह खंड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, आस्ति समूह की वास्तविक लागत आस्ति समूह की वह अवलिखित लागत होगी, जो कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन की तारीख को उक्त कंपनी की दशा में थी ।"।

धारा 44कख का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) खंड (क) में, "चालीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "साठ लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "दस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

2009 का 33

15. आय-कर अधिनियम की [वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 20 द्वारा यथसंशोधित], धारा 44कघ के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "चालीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "साठ लाख रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे । धारा 44कघ का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44खख की उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 44घ या" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, "धारा 44घक या" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 44खख का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 44घक की उपधारा (1) के, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 44घक का संशोधन ।

"परंतु यह और कि धारा 44खख के उपबंध इस धारा में निर्दिष्ट आय की बाबत लागू नहीं होंगे ।"।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (xiiiक) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 47 का संशोधन ।

'(xiiiख) किसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति का, किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी द्वारा (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 56 या धारा 57 के उपबंधों के अनुसार कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप, किसी सीमित दायित्व भागीदारी को कोई अंतरण :

2009 का 6

परंतु यह कि,—

(क) संपरिवर्तन के ठीक पूर्व कंपनी की सभी आस्तियां और दायित्व सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियां और दायित्व बन जाएंगे ;

(ख) संपरिवर्तन के ठीक पूर्व कंपनी के सभी शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार बन जाएंगे और सीमित दायित्व भागीदारी में उनके पूंजी अभिदाय और लाभ में हिस्सा बंटाने का अनुपात उसी अनुपात में होगा जो संपरिवर्तन की तारीख को कंपनी में उनके हिस्सा बंटाने का अनुपात था ;

(ग) कंपनी के शेयरधारक सीमित दायित्व भागीदारी में लाभों और पूंजी अभिदायों में शेयर के रूप से भिन्न किसी रूप या रीति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल या फायदा प्राप्त नहीं करते हों ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी में कंपनी के शेयरधारकों के लाभ में हिस्सा बंटाने के अनुपात का योग संपरिवर्तन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(ङ) उस पूर्ववर्ष के, जिसमें संपरिवर्तन हुआ है पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों में से किसी में कंपनी के कारबार का कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए से अधिक नहीं हैं ; और

(च) संपरिवर्तन की तारीख को, कंपनी के खातों में विद्यमान संचित लाभ के अतिशेष में से किसी भागीदार को संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कोई रकम, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त नहीं की गई है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्राइवेट कंपनी" और "असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" पदों के वही अर्थ होंगे, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में क्रमशः उनके हैं ।'। 2009 का 6

19. आय-कर अधिनियम की धारा 47क की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 47क का संशोधन ।

"(4) जहां धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों में से किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, वहां ऐसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति के अंतरण से, जो उक्त के परंतुक में अधिकथित शर्तों के आधार पर धारा 45 के अधीन भारित नहीं है, उद्भूत लाभ या अभिलाभ की रकम को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें उक्त परंतुक की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है, उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी के कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा।"।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में,— धारा 49 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ङ) में, "खंड (viगख)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (viगख) या खंड (xiiiख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, "खंड (vii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "या खंड (viiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,— धारा 56 का संशोधन ।

(क) खंड (vii) में,—

(i) उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा और 1 अक्तूबर, 2009 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) कोई स्थावर संपत्ति प्रतिफल के बिना जिसका स्टांप शुल्क मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य,";

(ii) स्पष्टीकरण के खंड (घ) में,—

(अ) प्रारंभिक भाग में "अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती की निम्नलिखित पूंजी आस्तियां अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—" शब्द रखे जाएंगे और 1 अक्तूबर, 2009 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (vii) में, "या" शब्द का 1 जून, 2010 से लोप किया जाएगा ;

(इ) उपखंड (viii) के अंत में, "या" शब्द 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ई) उपखंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ix) बुलियन ;" ;

(ख) खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(viiक) जहां कोई फर्म या कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई संपत्ति, जो किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, के शेयर हैं ,—

(i) प्रतिफल के बिना, प्राप्त करती है, जिसका सकल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है,ऐसी संपत्ति का संपूर्ण सकल बाजार मूल्य ;

(ii) प्रतिफल के लिए, प्राप्त करती है, जो पचास हजार रुपए से अधिक किसी रकम द्वारा संपत्ति के सकल उचित बाजार मूल्य से कम है, ऐसी संपत्ति का वह सकल उचित बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है:

परंतु यह खंड धारा 47 के खंड (viक) या खंड (viग) या खंड (viगख) या खंड (viघ) या खंड (vii) के अधीन अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार के रूप में प्राप्त किसी ऐसी संपत्ति को लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई संपत्ति, जो किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, के शेयर हैं, के "उचित बाजार मूल्य" का वही अर्थ होगा, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण में है ।'।

धारा 72क का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 72क में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6क) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ है, जिसके कारण कोई प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी की धारा 47 के खंड (xiiiख) के परतुंक में अधिकथित शर्तों को पूरा करने वाली सीमित दायित्व भागीदारी उत्तरवर्ती होती है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पूर्ववर्ती कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण को उस पूर्ववर्ती वर्ष के प्रयोजन के लिए, जिसमें कारबार का पुनर्गठन किया गया था, उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी के अवक्षयण के लिए हानि या मोक समझा जाएगा और अवक्षयण के लिए हानि या मोक का मुजरा करने और उसे अग्रनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे:

परंतु यदि धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों में से किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी की किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए अवक्षयण की हानि या मोक के मुजरा को उस वर्ष में, जिसमें ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया गया है, कर से प्रभार्य सीमित दायित्व भागीदारी की आय समझा जाएगा ।";

(ख) उपधारा (7) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "संचित हानि" से, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से पूर्व असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" (जो सट्टे के कारबार से हुई हानि नहीं है) शीर्ष के अधीन उतनी हानि अभिप्रेत है जो ऐसी पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनीत करने और मुजरा करने की हकदार होती, यदि कारबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता ;

(ख) "शेष अवक्षयण" से, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से पूर्व असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी का उतना अवक्षयण मोक अभिप्रेत है, जो अनुज्ञात रहता है और जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी को अनुज्ञात हुआ होता यदि कारबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता ।'।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80क की उपधारा (6) और उसके स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 80क का संशोधन ।

'(7) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों की बाबत "ग—कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्षक के अधीन इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 35कघ के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।'।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 80गगच का अंतःस्थापन ।

"80गगच. किसी निर्धारिती की, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में, 1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए यथा अधिसूचित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय के रूप में संदत्त या जमा की गई संपूर्ण रकम की, उस सीमा तक कटौती की जाएगी, जहां तक ऐसी रकम बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।"। दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय की बाबत कटौती ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ की उपधारा (2) के खंड (क) में "संदत्त संपूर्ण रकम" शब्दों के पश्चात्, "या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम को किया गया कोई अभिदाय" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 80घ का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2011 से,— धारा 80छछक का संशोधन ।

(क) खंड (क) में, "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, "अनुसंधान संगम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (कक) में,—

(अ) "किसी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अनुसंधान संगम, जिसका उद्देश्य समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक में, "ऐसे विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "ऐसे संगम, विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) स्पष्टीकरण में, "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, "अनुसंधान संगम" शब्द रखे जाएंगे ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख की उपधारा (10) में,— धारा 80झख का संशोधन ।

(i) खंड (क) में,—

(क) उपखंड (ii) में, "1 अप्रैल, 2004" अंकों और शब्द के पश्चात् "किन्तु 31 मार्च, 2005 के अपश्चात्" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) उस दशा में, जहां आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अनुमोदित किया गया है, वहां उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, पांच वर्ष के भीतर ।";

(ii) खंड (घ) में,—

(क) "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीन प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "दो हजार वर्ग फुट, इनमें से जो भी कम हो," शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार वर्ग फुट, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्द रखे जाएंगे ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80झघ की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2011 से,— धारा 80झघ का संशोधन ।

(क) खंड (i) में, "31 मार्च, 2010" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 जुलाई, 2010" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, "31 मार्च, 2010" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 जुलाई, 2010" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञकक की उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 115ञकक का संशोधन ।

2009 का 6

'(7) किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन की दशा में, इस धारा के उपबंध उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्राइवेट कंपनी" और "असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" पदों के वही अर्थ होंगे, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में क्रमशः उनके हैं ।'।

2009 का 6

धारा 115ञख का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख की उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) "1 अप्रैल, 2010" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2011" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "अठारह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115बङ का संशोधन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 115बङ की उपधारा (1ख) में, "31 मार्च, 2010 के पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2011 के पश्चात्" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 139 का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अनुसंधान संगम" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे ।

धारा 142क का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 142क की उपधारा (1) में, "मूल्यवान वस्तु के मूल्य का" शब्दों के स्थान पर, "मूल्यवान वस्तु के मूल्य का या धारा 56 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे ।

धारा 143 का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

(क) उपधारा (1ख) में, "31 मार्च, 2010 के पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2011 के पश्चात्" अंक और शब्द से रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के पहले परंतुक में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अनुसंधान संगम" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे ।

धारा 194ख का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे ।

धारा 194खख का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 194खख में, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे ।

धारा 194ग का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (5) में, 1 जुलाई, 2010 से,—

(क) "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचहत्तर हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194घ का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 194घ के दूसरे परंतुक में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे ।

धारा 194ज का संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के पहले परंतुक में, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे ।

धारा 194झ का संशोधन ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के पहले परंतुक में, "एक लाख बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे ।

धारा 194ञ का संशोधन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (आ) में, "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "तीस हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे ।

धारा 201 का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2010 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या कंपनी, जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करती है या कटौती करने के पश्चात् कर का संदाय करने में असफल रहती है वहां वह,—

(i) उस तारीख से, जिसको ऐसे कर की कटौती की जानी थी, उस तारीख तक, जिसको ऐसे कर की कटौती की गई थी, ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ; और

(ii) उस तारीख से, जिसको ऐसे कर की कटौती की गई थी, उस तारीख तक, जिसको ऐसा कर वास्तव में संदत्त किया गया था, ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक सही एक बटा दो प्रतिशत की दर से,

साधारण ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा या होगी और ऐस ब्याज का संदाय धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार विवरण प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किया जाएगा ।"।

धारा 203 का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (5) में,— धारा 206ग का संशोधन ।

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह" शब्द रखे जाएंगे ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 245क के खंड (ख) में, 1 जून, 2010 से,— धारा 245क का संशोधन ।

(i) परंतुक के खंड (ii) और खंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

(ii) स्पष्टीकरण में, —

(क) खंड (ii) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही, ऐसी कार्यवाहियां आरंभ करने की सूचना जारी करने की तारीख को प्रारंभ और उस तारीख को, जिसको निर्धारण किया गया है, समाप्त हुई समझी जाएंगी ;";

(ग) खंड (iv) में "परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "परंतुक के खंड (iv) या स्पष्टीकरण के खंड (iiiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2010 से रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 245ग का संशोधन ।

"परंतु ऐसा कोई आवेदन तभी किया जाएगा, जब,—

(i) उस दशा में, जहां धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं, वहां आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) किसी अन्य दशा में, आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक है ;

और ऐसे कर और उस पर ब्याज का, जिनका यदि आवेदन में प्रकट की गई वह आय आवेदन की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष आय की विवरणी में घोषित की गई होती तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किया गया होता, आवेदन करने की तारीख को या उसके पूर्व संदाय कर दिया गया है और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है ;"।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4क) में,— धारा 245घ का संशोधन ।

(क) खंड (ii) में, "या उसके पश्चात्" शब्दों के पश्चात्, "किंतु 1 जून, 2010 से पूर्व" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, अठारह मास के भीतर,"।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 256 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 1981 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— धारा 256 का संशोधन ।

"(2क) उच्च न्यायालय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।"।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 260क की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— धारा 260क का संशोधन ।

"(2क) उच्च न्यायालय, उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।"।

धारा 271ख का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 271ख में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे ।

धारा 282ख का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की [वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 78 द्वारा यथा अंतःस्थापित] धारा 282ख में, 1 अक्तूबर, 2010 से,— 2009 का 33

(क) उपधारा (1) में, "आय-कर प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "आय-कर प्राधिकारी 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात्" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "द्वारा प्राप्त" शब्दों के स्थान पर, "द्वारा 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात् प्राप्त" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 में, [वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 80 के खंड (ii) द्वारा यथा अंतःस्थापित] खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2011 से रखा जाएगा, अर्थात् :— 2009 का 33

"(ख) (i) विनिधानों की वसूली में किसी अभिलाभ या हानि को, यथास्थिति, जोड़ा जाएगा या उसकी कटौती की जाएगी, यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में जमा या उससे विकलित नहीं किया गया है ;

(ii) लाभ-हानि लेखे से विकलित किए गए विनिधान के मूल्य में कमी के किसी उपबंध को वापस जोड़ा जाएगा;"।